सत्यमेव जयते

भारत गणतंत्र सरकार

और

इज़रायल राज्य सरकार के

बीच

हवाई परिवहन करार

भारत गणतंत्र सरकार, और
इज़रायल राज्य सरकार,
जिन्हें इससे आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो कि 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किये गए अंतरराष्ट्रीय सिविल विमानन अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता है, और

जो दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता, समझबूझ और सहयोग पैदा करने तथा बनाये रखने की दृष्टि से हवाई परिवहन के महत्व को मानते हुए, और

जो भारत और इज़रायल के बीच हवाई परिवहन के विकास को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को पूर्ण सीमा तक जारी रखने की इच्छा रखते हैं, और

जो अपने भू-भागों के बीच हवाई सेवाओं के प्रचालन हेतु एक करार को अंतिम रूप देना चाहते हैं,

निम्नानुसार सहमत हुये हैं :-

अनुच्छेद-1

परिभाषा

1. करार के निर्वचन और अनुप्रयोग के प्रयोजन के लिये,सिवाय जहाँ अन्यथा व्यवस्था न की गई हो:

क) "अभिसमय" पद का आशय उस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है जो शिकागो में 7 दिसम्बर, 1944 को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कियागया था और इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत स्वीकार किया गया कोई भी अनुबंध एवं उसके अनुच्छेद 90 व 94 के अंतर्गत अनुबंधों में अथवा अभिसमय में किया गया कोई भी संशोधन, जहाँ तक कि ये अनुबंध तथा संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं, सम्मिलित हैं,

ख) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का आशय इज़रायल राज्य के संबंध में परिवहन मंत्री तथा भारत गणतंत्र के संबंध में नागर विमानन महानिदेशक, अथवा दोनों मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसे ऐसे कार्यों को करने के लिये प्राधिकृत किया गया है जो इस समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा किये

सत्यमेव जयते

जाते हैं,

ग) "नामित विमान कंपनी" पद का आशय ऐसी विमान कंपनी से है जो इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये नामित और प्राधिकृत की गई है,

घ) "भू-भाग" पद का आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट किया गया है और "विमान सेवाएं" "अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं" "विमान कंपनी" और यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिये रूकना" पदों का आशय वही है जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में निर्दिष्ट किया गया है,

ङ) "करार" पद का आशय इस करार, इसके अनुबंध और इसमें किसी संशोधन से है,

च) "विनिर्दिष्ट मार्ग" पद का आशय इस करार के अनुबंध में स्थिर किये गए अथवा स्थिर किये जाने वाले मार्गों से है,

छ) "सम्मत सेवाएं" पद का आशय ऐसी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं से है जो यात्रियों, माल तथा डाक के परिवहन के लिये प्रस्तुत करार के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट मार्गों पर विमान द्वारा प्रचालित की जाती हैं,

ज) "टैरिफ" पद का आशय, यात्रियों, सामान और माल के वहन के लिये अदा किये गए शुल्क तथा ऐसी शर्तों से है जिनके अंतर्गत ये शुल्क लागू होते है, इनमें एजेंसी और अन्य अनुषंगी सेवाओं के लिये शुल्क शामिल होंगे परन्तु डाक के वहन के लिये पारिश्रमिक या शर्तें शामिल नहीं होंगी, और

झ) "सम्मत सेवाओं" के संदर्भ में "क्षमता" पद का आशय किसी भी निश्चित समय पर, किसी मार्ग या उस मार्ग के किसी भाग पर ऐसी सेवाओं पर प्रयुक्त विमान की क्षमता से है।

2. इस करार का अनुबंध करार का अभिन्न अंग होगा और सिवाय जहां स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, इस करार से संबंधित सभी संदर्भों में, अनुबंध के लिये संदर्भ भी शामिल होगा।

अनुच्छेद-2
अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इसके अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं स्थिर करने के प्रयोजन के लिए इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है।

2. यदि इस करार या इसके अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो तो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा :

सत्यमेव जयते

क) बिना उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,

ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रूकना,

ग) किसी भी विनिर्दिष्ट मार्ग पर सम्मत सेवा का प्रचालन करते समय, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, इस करार के अनुबंध में उक्त मार्ग के लिये विनिर्दिष्ट स्थानों पर, अंतरराष्ट्रीय यातायात में विमान कंपनी नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से आने वाले या वहाँ ले जाये जाने वाले यात्रियों, कार्गो या डाक को चढ़ाना या उतारना ।

3\. इस करार में किसी भी बात का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किराये या पारिश्रमिक पर दूसरे स्थान के लिये ले जाये जाने वाले यात्रियों, कार्गो या डाक को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ले जाने का विशेषाधिकार मिल गया है।

अनुच्छेद-3
विमान कंपनी नामित करना और प्रचालन प्राधिकार

1\. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप से विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को एक विमान कंपनी नामित करने का अधिकार होगा।

2\. ऐसा नामांकन प्राप्त हो जाने के बाद, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के अधीन, बिना विलंब के नामित विमान कंपनी को उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार मंजूर करेगा।

3\. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कंपनी से यह अपेक्षा कर सकते है कि वह उनका इस बारे में समाधान करें कि वह उन कानूनों और विनियमों के अधीन विहित शर्तों को पूरा करने के योग्य है जो सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप ऐसे प्राधिकारियों द्वारा लागू होते हैं।

4\. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित प्रचालन प्राधिकार मंजूर करने से अस्वीकार करने या किसी भी नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट उन अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा जहाँ उसका यह समाधान न हो कि नामित विमान कंपनी का वास्तविक स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उस विमान कंपनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके राष्ट्रिकों में निहित नहीं है।

5\. जब किसी विमान कंपनी को इस प्रकार नामित और प्राधिकृत किया गया हो तो वह सम्मत सेवाओं का प्रचालन कभी भी शुरू कर सकती है, बशर्ते कि उन सेवाओं के संबंध में इस करार के अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अनुसार स्थिर टैरिफ लागू हो और अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-4
अधिकारों को प्रतिसंहृत करना अथवा रोक देना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को मंजूर किये गए प्रचालन प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने अथवा इस करार के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग को रोक देने या ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जो कि वह इन अधिकारों के प्रयोग के लिये आवश्यक समझेः

क) यदि वह संतुष्ट हो कि विमान कंपनी का अधिकांश स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उसे नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या ऐसे संविदाकारी पक्ष के राष्ट्रिकों में निहित नहीं है, अथवा

ख) यदि वह विमान कंपनी इन अधिकारों को मंजूर करने वाले संविदाकारी पक्ष के कानूनों और विनियमों का पालन करने में असफल रहती है, अथवा

ग) यदि किसी भी प्रकार वह विमान कंपनी इस करार के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने में अन्यथा असफल रहती है।

2. यदि कानूनों या विनियमों के और आगे उल्लघंन को रोकने की दृष्टि से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शर्तों का तत्काल प्रतिसंहरण, निलंबन या आरोपण अनिवार्य न समझा जाए तो ऐसे अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा।

अनुच्छेद-5
शुल्कों और करों से छूट

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, यथा-संभव सीमा तक, सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने वाले विमान, ईंधन और स्नेहकों की सप्लाई, इंजिन, नियमित विमान उपकरण, विमान भंडारसहित अतिरिक्त कल-पुर्जे तथा खाद्य (उड़ान के दौरान यात्रियों को बिक्री किये जाने हेतु सीमित मात्रा में तम्बाकू, मदिरा, पेय और अन्य उत्पाद सहित) तथा सम्मत सेवाओं का प्रचालन करने वाले संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान के प्रचालन या उसकी सर्विसिंग से संबंधित अन्य मदें, तथा मुद्रित टिकट स्टाक, एयर वे बिल, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर कंपनी का निशान मुद्रित किया गया हो और ऐसी प्रचार सामग्री जो उस नामित विमान कंपनी द्वारा सामान्यतः बिना शुल्क के वितरित की गई हो, आयात प्रतिबंध, सीमा-शुल्क, आबकारी शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य राष्ट्रीय शुल्कों तथा प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

सत्यमेव जयते

2· इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूट इस अनुच्छेद के पैराग्राफ । में उल्लिखित मदों पर उस स्थिति में लागू होगी जबः

क§ दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रविष्ट की गई हो,

ख§ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुंचने या वहां से प्रस्थान करने के समय किसीएक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान में रखी हुई हो,

ग§ दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में किसी एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान में ले जायी गयी हो और उनका उपयोग सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये किया जाना हो,
चाहे छूट मंजूर करने वाले दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के अंतर्गत इन मदों का पूर्ण अथवा आंशिक उपयोग किया गया हो, बशर्ते कि ये मदें उक्त संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अपवर्तित न कर दी गई हों ।

3· पैराग्राफ 2 क§,ख§,ग§ में उल्लिखित सामग्री जहां भी अपेक्षित हो, सीमा-शुल्क के पर्यवेक्षण या निरीक्षण में रखी जाएगी।

4· दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के विमान पर सामान्यतः रखे गए नियमित उड़ानगत उपस्कर और सामग्री तथा भंडार को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में केवल उस भू-भाग के सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा। ऐसे मामले में, इन्हें उस समय तक उक्त प्राधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाएगा जब तक इन्हें बाहर नहीं निकाल लिया जाता या सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उसका निपटान नहीं कर दिया जाता ।

5· इस अनुच्छेद के पैराग्राफ । में जिन छूटों की व्यवस्था की गई है वे उस मामले में भी उपलब्ध होंगी जहां एक संविदाकारी पक्ष की विमान कंपनी ने ऐसी दूसरी विमान कंपनी से करार किया हो, जिसे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ । में निर्दिष्ट मदों के संबंध में, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऋण या हस्तां- तरण के लिये उस दूसरे संविदाकारी पक्ष से ऐसी ही छूट प्राप्त हो।

अनुच्छेद-6
टैरिफ

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से अथवा उसके भू-भाग के लिए वहन किए जाने हेतु लिया जाने वाला टैरिफ उचित स्तरों पर निर्धारित किया जाएगा जिसमें प्रचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों सहित सभी संगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। संविदाकारी पक्ष ऐसे अमान्य टैरिफों पर विचार करेंगे जो स्वार्थ या भेद-भाव

2·

सत्यमेव जयते

के तरीके से निर्धारित किये गए हों, जो प्रभावशील स्थिति के दुरूपयोग के कारण बहुत ही उंचा अथवा निषेधात्मक हो अथवा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकारी इमदाद या सहायता के कारण कृत्रिम रूप से बहुत ही कम हो।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित टैरिफ पर पूरे मार्ग अथवा उसके एक भाग पर प्रचालन कर रही अन्य विमानकम्पनियों के साथ परामर्श करते हुये दोनों संविदाकारी पक्षों की नामित विमानकम्पनियों के बीच सहमति होगी और ऐसा करार, जहाँ भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ अथवा टैरिफों के निर्धारण के लिए किसी अन्य उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दर निर्धारण तंत्र की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

3. इस प्रकार से सम्मत टैरिफ, उन्हें लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पैंतालिस (45) दिन पूर्व संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। विशेष मामलों में यदि उक्त प्राधिकारी सहमत हों तो यह अवधि घटाई जा सकती है।

4. यह अनुमोदन निश्चित रूप से दिया जाय। यदि प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि के भीतर कोई भी वैमानिकी प्राधिकारी अपनी असहमति प्रकट न करे तो इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार ये टैरिफ अनुमोदित समझे जायेंगे। जैसाकि पैरा 3 में उपबंधित है, यदि टैरिफ प्रस्तुत करने की अवधि कम की जाती है तो वैमानिकी प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि, जिसके अंतर्गत कोई भी अस्वीकृति अधिसूचित की जानी है, तीस (30) दिन से कम होगी।

5. यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसार इस टैरिफ पर सहमति नहीं होती है या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के अनुसार लागू अवधि के दौरान एक वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे वैमानिकी प्राधिकारी को पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसार सहमत टैरिफ की अस्वीकृति का नोटिस देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी, किसी भी राष्ट्र के वैमानिकी प्राधिकारी से परामर्श करने के बाद जिसकी सलाह उपयोगी समझी जाएगी, आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

6. यदि वैमानिकी प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किए गए टैरिफ के अनुमोदन अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 में निर्दिष्ट टैरिफ के निर्धारण पर सहमत न हो सकें तो इस करार के अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार इस मामले का निपटान किया जाएगा।

7. जब तक नए टैरिफ का निर्धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार निर्धारित टैरिफ लागू रहेगा। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर टैरिफ को उस तारीख के बाद बारह (12) महीनों की अवधि से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, जिस तारीख को यह अन्यथा समाप्त हो जाता।

7..

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-7

प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को, पारस्परिकता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अपने प्रतिनिधि और सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये यथाअपेक्षित अपने वाणिज्यिक, प्रचालन और तकनीकी स्टाफ रखने की अनुमति दी जायेगी। इस स्टाफ का चयन दोनों में से किसी या दोनों पक्षों के राष्ट्रिकों में से किया जाएगा।

2. इन कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताएं, नामित विमान कंपनी की राय पर, अपने स्वयं के कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रचालन कर रहे किसी अन्य संगठन, कंपनी अथवा विमान कंपनी की सेवाओं का, जिन्हें उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसी सेवाओं के निष्पादन के लिये प्राधिकृत किया गया हो, प्रयोग करके पूरी की जा सकती है।

3. प्रतिनिधि और कर्मचारी अन्य संविदाकारी पक्ष की लागू विधियों और विनियमों के अधीन होंगे तथा ऐसी विधियों और विनियमों के अनुरूप, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्य अनुज्ञप्तियाँ रोजगार वीसा या इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा।

4. पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को अपने भू-भाग में सीधे और अपने विवेक पर अपने एजेंटों के माध्यम से हवाई परिवहन के बिक्री कार्यों में संलग्न रहने के अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित विमान कंपनी को ऐसे परिवहन की बिक्री करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति स्थानीय या स्वच्छन्दतापूर्वक परिवर्तनीय मुद्रा में इस प्रकार के परिवहन को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद-8

विधियों और विनियमों का अनुप्रयोग

1. अंतरराष्ट्रीय दिक्चालन में नियोजित विमान के अपने स्वयं के भू-भाग में प्रवेश अथवा वहाँ से प्रस्थान को शासित करने वाले, अथवा उसके भू-भाग के अंदर रहते हुए ऐसे विमान के प्रचालन से संबंधित प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन के विमान पर, उक्त भू-भाग में प्रवेश, वहाँ से प्रस्थान करने और उसके अंदर लागू होंगे।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की उसके भू-भाग में विमान पर चढ़े यात्रियों, कर्मीदल, अस्बाब, कार्गो और डाक के प्रवेश, मुकाम, पारगमन और प्रस्थान से संबंधित विधियों और विनियमों का, जिनमें प्रवेश और प्रस्थान आप्रवास ,प्रवास, पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, विदेशी मुद्रा और स्वच्छता संबंधी उपायों की बाबत विनियम शामिल हैं, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन द्वारा अन्य संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करते समय अथवा वहाँ से प्रस्थान करते हुए अथवा उसके अंदर पालन किया जाएगा।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-9

सुरक्षा

1. संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी हस्तक्षेप की कार्यवाहियों के खिलाफ नागर विमानन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए परस्पर अपने-अपने दायित्व की पुनः अभिपुष्टि करते हैं, संविदाकारी पक्ष विशेषकर 14 सितम्बर 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किये जाने वाले अपराधों और कतिपय अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसम्बर 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अभिग्रहण के अनुरोध से संबंधित अभिसमय, 23 सितम्बर 1971 को मॉंट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरूद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के निरोध से संबंधित अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर संविदाकारी पक्ष गैर-कानूनी रूप से सिविल विमानों का अभिग्रहण किए जाने की कार्रवाईयों और ऐसे विमानों, उनके यात्रियों, कर्मीदल, हवाई अड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं के विरूद्ध तथा गैर-कानूनी कृत्यों, नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी भी अन्य खतरे से बचाव के लिए एक दूसरे को सभी संभव सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष अपने परस्पर संबंधों,में उस सीमा तक अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अभिसमय के अनुबंधों के रूप में निर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे जहां तक वे सुरक्षा उपबंध इन पक्षों पर लागू होते हैं, उनके पंजीकृत विमानों के प्रचालकों या ऐसे विमान के प्रचालकों, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान अथवा स्थाई निवास उनके भू-भाग में है तथा उनके भू-भाग में, हवाई अड्डों के प्रचालकों से वे यह अपेक्षा करेंगे कि इन विमानन सुरक्षा उपबंधों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस बात पर सहमत है कि विमान के इस प्रकार के प्रचालकों को, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश के लिए, वहां से प्रस्थान के लिए अथवा उसके अंदर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित सुरक्षा उपबंधों का अनुपालन करना पड़ सकता है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान की सुरक्षा और विमान पर सवार होते समय अथवा लदान के दौरान यात्रियों, कर्मीदल, सामान, माल और विमान भंडार के निरीक्षण के लिए उसके भू-भाग के अंदर प्रभावी और पर्याप्त उपाय लागू किये जाते हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय करने के बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्त किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करेगा।

5. यदि किसी सिविल विमान के गैर-कानूनी ढंग से अभिग्रहण किये जाने की घटना अथवा धमकी दिये जाने की कोई घटना घटती है अथवा इस प्रकार के विमान, उसके यात्रियों और कर्मीदल, हवाई अड्डों अथवा विमान दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध कोई कृत्य किये जाते हैं तो संविदाकारी पक्ष इस प्रकार की घटना अथवा धमकी से शीघ्र निपटने के लिए संचार माध्यमों और अन्य उपायों के द्वारा एक दूसरे की सहायता करेंगे।

2/-

सत्यमेव जयते

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष ऐसे उपाय करेगा जैसे कि यह व्यावहारिक समझे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विमान, जिसके विरुद्ध गैर-कानूनी अभिग्रहण की कार्रवाई की गई है अथवा गैर-कानूनी हस्तक्षेप की अन्य कार्रवाई की गई है, जो उसके भू-भाग में उतरा है, उसे भूमि पर रोका जाए बशर्ते उसका प्रस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा के अभिभावी कर्तव्य द्वारा आवश्यक न हो जाय। जब कभी व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय आपसी परामर्श से किये जाएंगे।

7. जब किसी संविदाकारी पक्ष के पास यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि दूसरा संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के नागर विमानन सुरक्षा उपबंधों से विचलित हो गया है तो उस संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ तात्कालिक परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। साठ दिनों के अंदर किसी संतोषजनक सहमति में विफलता, इस करार के अनुच्छेद-4 की अनुप्रयोज्यता का आधार बन सकती है ।

अनुच्छेद-10
अधिशेष प्राप्तियों का अंतरण

1. पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियां व्यय के बाद अधिशेष प्राप्तियों को बिक्री के भू-भाग से अपने मूल स्थान को भेजने के लिये स्वतंत्र होंगी। इस प्रकार की निवल अंतरित राशि में सीधी बिक्री या हवाई परिवहन सेवाओं, और अनुषंगी अनुपूरक सेवाओं के एजेंट के माध्यम से प्राप्त राजस्व शामिल होगा तथा भुगतानों का निपटान, दोनों देशों के बीच लागू भुगतान करार, यदि ऐसा करार किया गयाहो, के प्रावधानों तथा लागू मुद्रा विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

2. संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कंपनियां ऐसे अंतरण के लिये आवेदन करने पर शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करेंगी। ऐसे अंतरण की प्रक्रिया उस देश के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार होगी जहाँ यह राजस्व अर्जित किया गया है ।

3. संविदाकारी पक्षों की विमान कंपनी अनुमोदन प्राप्त होने पर वास्तविक अंतरण करने के लिये स्वतंत्र होगी। ऐसी स्थिति में जब, तकनीकी कारणों से, ऐसा अंतरण शीघ्र न किया जा सके तो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी को अन्य संविदाकारी पक्ष के आयातों के समान अंतरण की अग्रता मिलेगी।

अनुच्छेद-11
क्षमता और समयावलियाँ

1. दोनों नामित विमान कंपनियों को इस करार के अनुबंध में यथानिर्दिष्ट सम्मत सेवाओं के प्रचालन के लिये उचित समान अवसर उपलब्ध होंगे।

सत्यमेव जयते

2. सम्मत सेवाओं का प्रचालन करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनियां दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी के हित को ध्यान में रखेगी ताकि उस दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी द्वारा किसी संपूर्ण मार्ग या उसके किसी हिस्से पर अथवा अपने नेटवर्क के अन्य मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर अनुचित प्रभाव न पड़े ।

3. नामित विमान कंपनियों द्वारा सम्मत सेवाओं पर उपलब्ध कराई जा रही क्षमता का संविदाकारी पक्षों के भू-भागों के बीच यात्रा करने वाले लोगों की अनुमानित हवाई परिवहन संबंधी आवश्यकताओं से निकट संबंध होगा।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम क्षमता के संबंध में दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सहमति होगी।

5. सम्मत सेवाओं का प्रचालन करते समय नामित वाहकों के बीच एक वाणिज्यिक करार अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद-12
सुविधाओं की व्यवस्था

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष हवाई अड्डों और अन्य विमानन सुविधाओं का उपयोग करने के लिये सही और उचित शुल्क लगा सकता है या लगाने की अनुमति दे सकता है परन्तु यह शुल्क ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी अन्य एयरलाईनों द्वारा अदा किये जा रहे शुल्क से अधिक नहीं होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम वसूलीकर्ता संगठन और सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित विमान कंपनियों के बीच तथा जहां व्यावहारिक हो, एयरलाइन प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से परामर्श को बढ़ावा देगा। उपयोग कर्ताओं को, इन शुल्कों में किसी भी परिवर्तन से संबंधी प्रस्तावों के बारे में समुचित नोटिस दिया जाना चाहिये ताकि परिवर्तन किये जाने से पूर्व वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

3. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष, अपने सीमा-शुल्क, आप्रवासन, संगरोध और अपने नियंत्रणाधीन ऐसी ही सेवाओं तथा संबद्ध सुविधाओं को लागू करने के संबंध में, अपनी या अन्य किसी एयरलाइन को, ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में लगी दूसरे संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन की तुलना में अधिमान्यता नहीं देगा।

..

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद-13

सूचना और सांख्यिकी का आदान-प्रदान

किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कंपनी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों को उनके अनुरोध पर, ऐसी सांख्यिकी सूचना भेजेगी जो नामित विमान कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उचित रूप से अपेक्षित हो, जिसमें प्रत्येक मास के दौरान सम्मत सेवाओं पर वाहित यातायात परिमाण भी शामिल है एवं जिसमें सम्मत सेवाओं में वाहित ऐसे यातायात में सवार होने और उतरने के स्थान और प्रारंभिक तथा गंतव्य स्थान भी दिखाए गए हों।

अनुच्छेद-14

सीधा पारगमन

किसी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के पार सीधे पारगमन करने वाले यात्री, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे हैं, सरलीकृत नियंत्रण के अधीन होंगे। सीधे पारगमन वाले सामान और भाड़े को सीमा-शुल्कों और अन्य प्रभारों से छूट होगी।

अनुच्छेद-15

परामर्श

1. निकट सहयोग की भावना से, इस करार और इसके अनुबंध के उपबंधों के कार्यान्वयन और संतोषजनक ढंग से अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर परामर्श करेंगे।

2. ऐसे परामर्श, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के 60 दिनों की अवधि के भीतर शुरू होगा, यदि संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती।

अनुच्छेद-16

संशोधन

1. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों में से कोई भी पक्ष इस करार के किसी भी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय समझे तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष से इस प्रकार के विचार-विमर्श के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसा विचार-विमर्श जो कि वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच होगा और जो आपस में बातचीत तथा पत्राचार के माध्यम से किया जा सकेगा, इसके लिए किये गए अनुरोध की तारीख से साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर शुरू किया जाएगा। इस प्रकार सम्मत कोई संशोधन तभी लागू होगा जब राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाए।

सत्यमेव जयते

2\. इस करार के अनुबंध में संशोधन संविदाकारी पक्षों के सक्षम वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधी सहमति से किया जाय।

अनुच्छेद-17

विवादों का निपटान

यदि इस करार के निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में कोई मतभेद पैदा होता है तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारी इसे आपसी बातचीत द्वारा निपटाने के प्रयत्न करेंगे और ऐसा न हो सकने की स्थिति में समझौते के लिये विवाद संविदाकारी पक्षों को भेजा जाएगा।

अनुच्छेद-18

बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1\. अभिसमय के उपबंध संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की अवधि के दौरान इस करार के अंतर्गत स्थिर विमान सेवाओं पर अनुप्रयोज्य सीमा तक अपने वर्तमान रूप से प्रवृत्त रहेंगे जैसे कि वे इस करार के अभिन्न अंग हो, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष इस अभिसमय के किसी संशोधन या अनुसमर्थन नहीं करते जो कि विधिवत लागू हो गया हो और उस स्थिति में यथासंशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के दौरान लागू रहेगा।

2\. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय लागू होता है तो ऐसे अभिसमय के उपबंध अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद-19

पंजीकरण

इस करार और इसके सभी संशोधनों को तथा राजनयिक टिप्पणियों के किसी भी आदान-प्रदान को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद-20

पर्यवसान

1\. यह करार अनिश्चित काल तक विधिमान्य रहेगा।

2\. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को समाप्त करने संबंधी अपने निर्णय के बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी एक साथ भेजा जाएगा। ऐसे मामले में,दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से बारह (12) मास के बाद यह करार समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यह नोटिस आपसी

सत्यमेव जयते

सहमति से इस अवधि की समाप्ति से पहले ही वापिस नहीं ले लिया जाता । दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस की प्राप्ति की सूचना न दिये जाने की स्थिति में, यह नोटिस, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा नोटिस प्राप्त होने के चौदह दिनों बाद उस संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्त किया मान लिया जाएगा

अनुच्छेद-21

प्रवर्तन में आना

यह करार उस तारीख से प्रवर्तन में आएगा जिस को दोनों संविदाकारी पक्ष इस आशय की राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा एक दूसरे को लिखित अधिसूचना दें कि ऐसे प्रवर्तन के लिए उनकी अपनी-अपनी आंतरिक अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं ।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दिनांक 4 अप्रैल, 1994 तदनुसार हिब्रु संवत में 23 निसान 5754 और शक संवत में 14 चैत्र, 1916 को नई दिल्ली में छः मूल प्रतियों पर, जिनमें से दो-दो प्रतियां हिन्दी, हिब्रु और अंग्रेजी भाषाओं में हैं, हस्ताक्षर किए गए और यह सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इनके निर्वचन में कोई मतभेद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

(आर० एल० भाटिया)
भारत गणतंत्र सरकार के
विदेश राज्य मंत्री

(डा० योसी बिलिन)
इज़रायल सरकार के
विदेशी मामलों के
उप मंत्री